न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 194 / 2014

उनवान

1. मिठूलाल पुत्र नाथूराम गुजर निवासी गोरधनपुरा तहसील करेडा , जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1-हगामीनाथ पुत्र आसुनाथ रावल, निवासी बागजणातहसील माण्डल जिला भीलवाडा

2-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,करेडा जिला भीलवाडा

---रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 28 / 2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.7.2013,9.9.2013

अभिभाषक : 1. श्री बी एल बापना , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री प्रत्यर्थी संख्या 1 अनुपस्थित
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 7.3.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 / वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र नक्शे में रास्ता सही स्थान पर तरमीम कराने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खातेदारी अधिकारों की एक कृषि भूमि ग्राम बागजणा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील माण्डल में स्थित है जो जमाबंदी संवत 2066'–2069 में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खाता संख्या 170 व पुरानी खाता संख्या 161 पर दर्ज है। जिसके आराजी नम्बर 40 लगायत 44 एवं 46 लगायत 52 कुल किता 12 कुल रकबा 26 बीघा 9 बिस्वा है। राजस्व रेकार्ड में एक रास्ता जो चरागाह भूमि में से होकर वादग्रस्त भूमि के मध्य में होकर अन्य खेतों में जाता है । उक्त रास्ता के आराजी नम्बर 45 है एवं उक्त रास्ता आराजी नम्बर 40 व 50 के मध्य में है। जो राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त रास्ता जो वर्तमान मौके पर विद्यमान है वह आराजी नम्बर 52 की पूर्वी मेड पर होता हुआ आराजी नम्बर 50 की उत्तरी मेड पर होकर निकलता है, मौके पर इसी अनुसार रास्ता है और वर्षो से लोग इसी रास्ते से आते–जाते हैं। आराजी नम्बर 52 से पहले उक्त रास्ता चरागाह भूमि में से होकर आता है और आराजी नम्बर 52 जो वादी के खातेदारी अधिकार की भूमि है उसमें प्रवेश कर आराजी नम्बर 52 की पूर्वी मेड के सहारे होकर आगे जाकर आराजी नम्बर 50 की उत्तरी मेड पर अन्य खेतों में प्रवेश करता है। राजस्व अभिलेख में आराजी नम्बर 45 का रास्ता जहॉ दर्ज है, वहॉ पर कोई रास्ता दर्ज नहीं है, ऐसी स्थिति में सही स्थान पर रास्ता दर्ज कराया जाना आवश्यक है। जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री पारित की जावे की ग्राम बागजणा पटवार क्षेत्र गोरधनपुरा के आराजी नम्बर 40 व 50 के मध्य व आराजी नम्बर 50 की पश्चिमी मेड पर जो रास्ता आराजी नम्बर 45 दर्ज है, उक्त रास्ते को आराजी नम्बर 52 की पूर्वी मेड पर होते हुए आराजी नम्बर 50 की उत्तरी मेड पर राजस्व मानचित्र में दर्ज किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
भीलवाड़ा

का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश से प्रार्थी/अपीलार्थी व्यथित पक्षकार है चूंकि आक्षेपित निर्णय से गैर मुमकिन रास्ते की आराजियात बाबत खातदारी अधिकार दिये जाने का आदेश पारित किया गया है । प्रार्थी राजस्व रेकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजियात में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की खातेदारी की आराजियात के साथ स्थित आराजियात का सहखातेदार दर्ज है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में रास्ते की आराजियात की दुरूस्ती जो प्रार्थी व अन्य खातेदारान के आवागमन हेतु उपयोग की है, चाही गई है जिस पर बिना प्रार्थी का सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित किया है जिससे प्रार्थी के हक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। अतः उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय पारित किया जिसमें अपीलार्थी पक्षकार नहीं था इसलिए निर्णय पारित किये जाने की जानकारी अपीलार्थी को नहीं हो पाई । अपीलाधीन निर्णय की पालना में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा चालू रास्ता बन्द किये जाने की धमकी दी गई । तब जाकर अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। उसके बाद अपीलार्थी ने अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया ।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि आराजी नम्बर 45 जो कि राजस्व नक्शे में रास्ता दर्ज रेकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी नम्बर 45 रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है परन्तु उसका उपयोग नहीं हो रहा है इसलिए उसके स्थान पर रास्ते को अन्य स्थान पर तरमीम किया जावे। इस प्रकार रास्ते को अन्य स्थान पर तरमीम करने में किसी को आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं प्रत्यर्थी संख्या 2/प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया । प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब नहीं लिया गया एवं बगैर प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 2 को सुने ही आराजी नम्बर 45 जो कि राजस्व नक्शे में रास्ता दर्ज था । उसके स्थान पर वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा चाहे गये स्थान पर रास्ता कायम कर राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश प्रसारित किया । उसके उपरान्त वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 9.9.2013 को आराजी नम्बर 45 के खातेदारी अधिकार वादी को प्रदान किये जाने का आदेश प्रसारित कर दिया । जबकि रास्ते की भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार गैर मुमकिन रास्ते की आराजियात

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बाबत खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंधित है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.7.2013 एवं 9.9. 2013 को निरस्त कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को लाभ पहूँचाने की गरज से अपीलाधीन निर्णय पारित कर वादी को रास्ते की भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। जो विधिसम्मत नहीं है।

7. अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि खसरा संख्या 40 व 50 के मध्य अपीलाण्ट व अन्य खातेदारान की आराजियात खसरा नम्बर 3,4,5,7, व 16 व अन्य खसरा नम्बरान पर आवागमन हेतु उपरोक्त रास्ता मौके पर चालू रहा है के स्थान पर यदि अन्य रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उक्त नवीन रास्ता वर्तमान रास्ते से काफी दुविधाजनक रहेगा एवं काफी लम्बा हो जायेगा ।

8. अधिवक्ता अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री निर्मित नहीं की गई है। अतः निर्णय के अंतिम पेरा को आदेश 20 नियम 6 अ जाब्ता दीवानी के तहत डिक्री माना जावे।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि रास्ते की भूमि की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित है इसलिए रास्ते की भूमि की खातेदारी दिये जाने का अपीलाधीन आदेश खारिज किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
भीलवाड़ा

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही है। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

11. अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया । अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

12. प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने राजस्व रेकार्ड में में दर्ज आराजी नम्बर 45 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज को उस स्थान से अन्य तरमीम किये जाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.7.2013 पारित कर वादी द्वारा चाहे गये स्थान पर रास्ता तरमीम किये जाने का आदेश प्रसारित किया एवं उसके उपरान्त वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आराजी नम्बर 45 जो कि राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज है जिसके खातेदारी अधिकार वादी को प्रदत्त किये जाने का आदेश दिनांक 9.9. 2013 को पारित किया । जबकि अपीलार्थी का कथन है कि उक्त नवीन रास्ता दर्ज किये जाने से रास्ता लम्बा होकर असुविधाजनक रहेगा । जिससे अपीलार्थी एवं अन्य खातेदारान को अपनी आराजी तक पहूँचने में असुविधा होगी। राजस्व नक्शे में नई तरमीम के अवलोकन से भी नवीन रास्ता दर्ज करने की स्थिति में रास्ता लम्बा हो जाना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जाहिर होता है । जबकि पूर्व मे दर्ज बिलानाम गैर काबिल काश्त गैर मुमकिन रास्ते की आराजी नम्बर 45 से अपीलार्थी व अन्य खातेदारान को आने–जाने में सुविधा रहती थी। मात्र किसी काश्तकार के खेत के दो टुकडे न हों, इस हेतु रास्ते को अन्य स्थान पर खातेदारी भूमि तरमीम कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी नम्बर 45 जो कि राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज है जिसके खातेदारी अधिकार प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी को अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.9.2013 द्वारा प्रसारित किये गये हैं । उक्त आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.7.2013 एवं आदेश दिनांक 9.9.2013 का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

13. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.7.2013 एवं 9.9.2013 को निरस्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि राजस्व रेकार्ड में निर्णय से पूर्व की स्थिति कायम की जावे। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे ।

14. निर्णय आज दिनांक 7.3.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

7/3/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 194 / 2014

उनवान

1. मिठूलाल पुत्र नाथूराम गुजर निवासी गोरधनपुरा तहसील करेडा , जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. हगामीनाथ पुत्र आसुनाथ रावल, निवासी बागजणातहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,करेडा जिला भीलवाडा

–––रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 28 / 2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.7.2013,9.9.2013

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 194 / 2014** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डल** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड्क्रिी जारी की जाती हैंः–

यह अपील तारीख 7.3.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री बी एल बापना वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की अनुपस्थिति में राजकीय अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश सोनी की उपस्थिति मे दिनांक 7.3.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी स्वीकार की कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.7.2013 एवं 9.9.2013 को निरस्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि राजस्व रेकार्ड में निर्णय से पूर्व की स्थिति कायम की जावे।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 7.3.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह ड्क्रिी जारी की जाती है।

7/3/18

(निमिषा गुप्ता)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट	रेस्पोडेण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन	1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लियें स्टाम्प	2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील	3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस	4. प्लीडर की फीस